पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
वेबसाईटः www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक 28694 दिनांकः 21/01/2025

कार्यालय आदेश

सांविधिक समितियों के गठन हेतु शैक्षणिक कार्मिकों की नियमित नियुक्ति एवं अनुमोदन के संबंध में

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न सांविधिक एवं अन्य समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही हैं इसके लिए शैक्षणिक कार्मिकों की नियुक्ति विधिमान्य तरीके से प्रक्रिया को पूर्ण कर विश्वविद्यालय से नियुक्ति का अनुमोदन अनिवार्य है। यदि पूर्व में किसी शैक्षणिक कार्मिक ने विधिमान्य तरीके से चयनित होकर अपनी नियुक्ति का अनुमोदन विशविवद्यालय से प्राप्त कर लिया है तो उससे अनुरोध है कि तत्संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों को विश्वविद्यालय कार्यालय (सम्बद्धता शाखा) में प्रस्तुत कर लिखित रूप से उसका सत्यापन करवा लेवें।

जिन शैक्षणिक कार्मिकों की अभी तक नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है एवं अनुमोदन नहीं हुआ हैं वे अपने महाविद्यालय प्रबन्धन से अनुरोध कर अपनी नियुक्ति को विधिमान्य तरीके से नियमित करवा लेवें। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक 26109 दिनांक 31.07.2024 बाबत् विधिमान्य नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर विश्वविद्यालय कार्यालय से यथाशीघ्र अनुमोदन प्राप्त कर लेवें।

सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार किसी भी कार्मिक की बिना नियमित नियुक्ति किये एवं विश्वविद्यालय से बिना अनुमोदन प्राप्त किये जाने की दशा में संबंधित कार्मिक को किसी भी समिति में मनोनीत किया जाना संभव नही होगा।

कुलसचिव

क्रमांकः 28695 – 697 दिनांक– 21/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति, पं. दी. द. उ. शे. विवि., सीकर।
2. वित्त नियंत्रक, पं. दी. द. उ. शे. विवि., सीकर।
3. प्राचार्य / सचिव समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

उपकुलसचिव(शैक्षणिक)